न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

द इजलास श्री जगन ल त्र मीणा **R.A.S.**

मुकदमा नं0. 51/13

1–कज्जर पुत्र अतरखांजाति मेव निवासी नगला वादीपुर तहसील कामां
2–समशेर पुत्र सुबराती जाति मेव निवासी टायरा तहसील कामां

वादीगण

बनाम

1–कजरू पुत्र बुद्धी कौम मेव निवासी कस्बा कामां तहसील कामां
2–आसमौहम्मद पुत्र बुद्धी कौम मेव निवासी कस्बा कामां तहसील कामां (मृतक)
2/1–अलीमन पत्नि स्व0 आस मौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां
2/2 राजमौहम्मद
2/3 कदराम
2/4 अकक पिसरान आस मौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां
2/5 सैफुल पुत्र आस मौहम्द नाबालिग बलिसरपरस्त माता खुद अलीमन पत्नि आसमौहम्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
2/6 सकीना पुत्री आस मौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां तहसील कामां
3– अलीमौहम्मद पुत्र दीनमौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां तहसील कामां (मृतक)
3/1 नसरी पत्नि अलीमौहम्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
3/2 इलियास
3/3 मुश्ताक पिसरान अलीमौहम्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
3/4 नूरी
3/5 नूना पुत्रीयान अलीमौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां तहसील कामां
4– अयूब
6– रूजदार
7– सत्तार
8– इकबाल पिसरान दीनमौहम्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां तहसील कामां
9– जुहरी पत्नि दीनमौहम्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
10–सुर्जदेई पत्नि रोशनलाल कौम माली निवासी नौनेरा
11–भैदराम उर्फ भेदी पुत्र मूली कौम माली निवासी कस्बा कामां
12–मामला पुत्र चांदमौहम्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
13–साहब खां पुत्र चांदमौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां
14–आसीनी
15–सबीना
16–वहीदन
17–असमीना पुत्रीयान चांदमौहम्मद कौम मेव निवासी कस्बा कामां
18–गुलीचन्द पुत्र अमीर कौम मेव निवासी कस्बा कामां (मृतक)
18/1 अलीमन पत्नि गुलीचन्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
18/2–उमरमौहम्मद
18/3 वहीद
18/4 आजाद
18/5 असलम पिसरान गुलीचन्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
18/6 सरजीना
18/7 सम्मा
18/8 सुब्बा

...अधिकारी
...(भरतपुर) राज0

18/9 रसूल
18/10 रुबी पुत्रीयान गुलीचन्द कौम मेव निवासी कस्बा कामां
19 तहसीलदार तहसील कामां

असल प्रतिवादीगण

20 भारतीय स्टेट कृषि विकास शाखा डीग जरिये मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा डीग जिला भरतपुर

फोरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53— 188, राज0 काश्त कारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27.9.2017

वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53— 188 आर0टी0एक्ट अधिनियम के तहत पेश किया कि आ0ख0नं0 2995/0.27, 2997/0.19, 2998/0.06, 3000/0.11, 3001/0.07, 3002/0.15, 3003/0.19, 3004/0.27 3006/0.04, 3013/0.28, 3231/0.65 हैक्टर किता 11 रकवा 2.28 हैक्ट0 वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां में स्थित है वादी व प्रतिवादीगणके सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर वादीगण प्रतिवदीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड सम्मिलित रूपा से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहा है । वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सम्मिलित रूप से काबिज रहकर काश्त करना कतई सम्भव नहीं रहा है क्याकि वक्त काश्त प्रतिवादीगण वादीगण के साथ झगडा फिसाद करने पर उतारू रहते हैं तथा काश्त करने में व्यवधान पैदा हो रही है । इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण से आराजी मुतदाविया का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड व कब्जा बंटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इसलिए आराजी मुतदाविया का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किया जाकर अलग अलग राज लगानव जमाबन्दियां कायम की जावे । समस्त आराजी रकवा से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है और ना ही इस वक्त है लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण लट्ठ के बल पर वादीगण के हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करते हैं । तथा बिना विभाजन कराये ही आराजी मुतनाजा को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करना चाहते हैं जिसकी बावत प्रतिवादीगण ने दिनांक 29.8.2013 को ऐलानिया धमकी दी है कि यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव न हो सकेगी । विदि बजह वादीगण दावीदार है और प्रतिवादीगण को जरिये डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रतिवादी गणको जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 30.7.2015 को कैम्प कोर्ट कामां पर दावा प्रतिवादी का प्राथमिक डिकी की गई मुताविक हिस्सा व कब्जा के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निदेर्शित किया गया । प्रतिवादी नं01, लगा0 9 व 12,13 ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदारहै जिनको वखूबी जानकारी है कि प्रतिवादीनं0 2 आसमौहम्मद दिनांक 18.6.2011 को व प्रतिवादी सख्या 9 जुहरी दिनांक 5.5.2013 को दावा पेश करने से पूर्व ही फौत हो चुकी है यानि की मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध दावा पेश किया जो काबिले खारिजी है । प्रतिवादी नं0 18 गुलीचन्द दिनांक 20.4.16 को व अलीमौहम्म्द प्रतिवादी नं03 भी दौरान दावा फौत हो चुके है। जिनकी भी वादीगणों को पहले से जानकारी है । वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में लिख है कि हल्का पटवारी की

अधिकारी
(भरतपुर) राज0

रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त हुई है कि उससे पूर्व वादीगण को कोई जानकारी नही थी जब वादीगण को दिनांक 17.8.2016 को जानकारी हो गई तो जानकारी से 90 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र पेश कर देना चाहिये था जो कि 100 वे दिन पेश किया जो म्याद बाहर है इसलिए वादीगण का प्रार्थना समय अवधि मे न होने के कारण खारिज योग्य है ।

तहसीलदार कामां से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार से है :–

आदेश की पालना में कस्बा कामां नं0 2 के आराजी खसरा नम्बर 2995/0.27, 2997/0.19, 2998/0.06, 3000/0.11, 3001 /0.07, 3002/0.15, 3003/0.19, 3004/0.27, 3006/0.04, 3013/0.28, 3231/0.65 हैक्टर किता 11 रकबा 2.28 हैक्ट0 वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां मौके पर पहुंच कर प्रतिवादीगण फजरू खां, इकबाल, [illegible] साहब खां, सुखदेई, वेदराम,उम्मर मौहम्मद, अलीमन, ताजमौहम्मद एवं अन्य सभी खातेदारों को मौके पर बुलाया गया,परन्तु बार बार बुलाने के उपरान्त में कोई प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर वादीगण फज्जर खां पुत्र अतरखां, शमशेर पुत्र सुबराती कौम मेव उपस्थित आये । प्रतिवादीगणों की विभाजन करने की इच्छा नहीं है । ऐसी स्थिति में वादीगण फज्जरखां पुत्र अतरखां कौम मेव साकिन नगला वादीपुर व शमशेर पुत्र सुबराती कौम मेव साकिन टायरा हिस्से में आयी भूमि कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित है :–

1–आसमौहम्मद पुत्र बुद्धि हिस्सा 1/22, अलीमन पत्नि आस मोहम्मद, ताज मौहम्मद, सद्दाम, जफरू बालिग, सैकुल नाबालिग पिसरान आसमौहम्मद सर0माता खुद अलीमन बरफीना पुत्री आस मौहम्मद बहिस्सा 1/22 इलियास, मुस्ताक पिसरान अलीमौहम्मद भूरिया, नजमा पुत्री अलीमौहम्मद, नसरी पत्नि अलीमौहम्मद बहिस्सा बराबर 1/33 शरीफ, शाहरूख पिसरान अय्युब, शरीना, रिहाना, जहीना, जैबूना, जाहीदा, पुत्री अय्युब धौली पत्नि अय्युब बहिस्सा 1/33, इकबाल, पुत्र दीनमौहम्मद 1/33, रूजदार, सत्तार, कासिम, हिस्सा 24/1155,पिसरान दीनमौहम्मद मामला ,साहब खा पिसरान चांद मौहम्मद, सम हिस्सा 12/77 आसमीना ,पुत्री चांदमौहम्मद हिस्सा 2/77 उमर मौहम्मद वहीद, आजाद, असलम, पिसरान गुलीचन्द, रजीना,सम्मा, सुब्बा, रस्तून, पप्पी, पुत्रीयान गुलीचन्द, वसरी पत्नि गुलीचन्द, सम हिस्सा 6/11, कौम मेव साकिन देह, सुखदेई पत्नि रोशनलाल हिस्सा 18/385 वेदराम उर्फ भेदी पुत्र मूलीराम हिस्सा 9/385 कौम माली साकिन नोनेरा हाल आबाद देह खातेदार ग्रहिन उमरमौहम्मद बगैरा हि0 6/11, एस0बी0आई0शाखा डीग मुर्त0 को खसरा नम्बर में से 2995/0.27, 2997/0.19, 2998/0.06, 3002/0.15, 3003/0.19, 3004/0.27, 3006/0.04, 3013/0.28, 3231/0.65 किता 9 रकवा 2.10 को हिस्से अनुसार दिया गया है तथा फज्जर पुत्र अतरखां कौम मेव साकिन नगला वादीपुर व शमशेर पुत्र सुबराती साकिन टायरा कौम मेव बहिस्सा बराबर खातेदार 3000/0.11, 3001 /0.07,कुल किता 2 रकवा 0.18 हैक्ट0खातेदार आसमौहम्मद पुत्र बुद्धि व अलीमौहम्मद पुत्र दीनमौहम्मद , अय्युब पुत्र दीनमौहम्म्द व गुलीचन्द पुत्र आमीर कौम मेव की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस निम्न प्रकार से है :–आसमौहम्मद:– (अलीमन पत्नि आसमौहम्म्द, ताजमौहम्मद, सद्दाम जफरू, सैकूल बरफीना) अलीमौहम्मद:–(इलियास, मुस्ताक, भूरिया, नजमा, नसरी पत्नि) अय्युब पुत्र दीनमौहम्मद (शरीफ शाहरूख शरीना, रिहाना, जहीना, जैबूना, जाहिदा, धौली पत्नि)गुलीचन्द पुत्र आमीर (उमरमौहम्म्द, वहीद आजाद, असलम, रजीना, सम्मा, सुब्बा, रस्तून, पप्पी बसरी पत्नि)प्रतिवादीगणों को बार बार बुलाया गया । उपस्थित नहीं आये ।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि दावा प्राथमिक डिकी होने के उपरान्त प्रतिवादीगणों मे से कई प्रतिवादियों की मृत्यु हो गई उनके वारिसान रिकार्ड पर लिये जा चुके हैं तथा उनकी विरासत भी हो चुकी है तथा तहसीलदार कामां द्वारा अपने कुर्रेजात में वारिसान को उनके हिस्से के अनुसार कृषि भूमि दी गई है । इसलिए अब उक्त प्रकरण में वारिसान की तलबी किया जाना न्यायोचित नहीं है । जिस बावत प्रतिवादी वकील ने जबाव पेश किया कि एक प्रार्थना पत्र आंशिक रूप स्वीकार है प्रतिवादी सं0 आस मौहम्मद दिनांक 18.6.11 को व प्रतिवादी नं09 जुहरी दिनांक 5.5.13 को दावा सम्भव नहीं है एवं प्रतिवादी नं0 18 गुलीचन्द व प्रतिवादी संख्या 3 अली मौहम्मद दौराने दावा फौत हो गये जिनके सम्मन पर तामील नहीं हुई व प्रतिवादी नं0 4 अय्यूब भी फौत हो चुका है । प्राथमिक डिकी द. बाद तलबी वारिसान में चल रही है जो अब भी मौजूद तलबी वारिसान में है इसलिए वारिसान को तलब किये बिना व वारिसान को सुने बगैर अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है । प्रतिवादीगण को सुने बगैर कैम्प

[illegible]- अधिकारी
[illegible] (भरतपुर) राज0

[illegible] डिक्री है अपने आप में प्रभावहीन व शून्य [illegible] हुए वारिसान की दरख्वास्त कोर्ट पर [illegible] के आदेश दिये जो मौजूदा पत्रावली तलबी वारिसान में [illegible] सुनी गयी । प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में [illegible] दोहराते हुए कहा कि प्राथमिक डिक्री बगैरा सुने ही कैम्प कोर्ट [illegible] प्रतिवादी नं0 2 आसमौहम्मद प्रतिवादी नं09जुहरी प्रतिवादी नं0 18 [illegible] प्रतिवादी नं0 2 अलीमौहम्मद दौराने दावा फौत हो गये हैं ।अतःवारिसान की [illegible] अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता है । वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी [illegible] जवाब के बिन्दुओ को दोहराते हुए कहा कि दावा प्राथमिक डिक्री [illegible] प्रतिवादीगणो मे से कई प्रतिवादियों की मृत्यु हो गई उनके वारिसान [illegible] जा चुके हैं तथा उनकी विरासत भी हो चुकी है तथा तहसीलदार कामां [illegible] में वारिसान को उनके हिस्से के अनुसार कृषि भूमि दी गई है। [illegible] प्रकरण में वारिसान की तलबी किया जाना न्यायोचित नहीं है । रिपोर्ट [illegible] देकर मौका कुर्रे प्रतिवादीगण बार बार बुलाने पर नहीं आये है ।

[illegible] का अवलोकन किया गया । तथा उपलब्ध दस्तावेजा का मनन [illegible] की बहस को सुना तथा मनन किया । रिपोर्ट कुर्रे [illegible] द्वारा सभी वादी प्रतिवादीगणों को उनके हिस्से अनुसार [illegible] किया है । जो सही प्रतीत होता है । तथा वारिसान रिकार्ड में [illegible] किया जाकर प्रकरण को और लम्बित करना उचित नहीं [illegible] है। कुर्रे अनुसार विभाजन किया जाना उचित [illegible]

[illegible] तहसीलदार कामां से प्राप्त कुर्रे अनुसार विभाजन [illegible] खसरा नम्बर 2995/0.27, 2997/0.19, 2998/0. [illegible] /0.27, 3002/0.15, 3003/0.19, 3004/0.27, 3006/0.04, [illegible] हैक्टर किता 11 रकबा 2.28 हैक्ट0 वाके कस्बा कामां नं0 2 [illegible] में से निम्न प्रकार किया जाता है

1—[illegible] पुत्र बुद्धि हिस्सा 1/22, अलीमन पत्नि आस मोहम्मद, ताज मौहम्मद, [illegible] बालिग, सैकुल नाबालिग पिसरान आसमौहम्मद सर0माता खुद अलीमन [illegible] पुत्री आस मौहम्मद बहिस्सा 1/22 इलियास, मुस्ताक पिसरान अलीमौहम्मद [illegible] पुत्री अलीमौहम्मद, नसरी पत्नि अलीमौहम्मद बहिस्सा बराबर 1/33 शरीफ, [illegible] पिसरान अय्युब, शरीना, रिहाना, जहीना, जैबूना , जाहीदा, पुत्री अय्युब धौली पत्नि अय्युब बहिस्सा 1/33, इकबाल, पुत्र दीनमौहम्मद 1/33, रूजदार , सत्तार, [illegible] , हिस्सा 24/1155,पिसरान दीनमौहम्मद मामला ,साहब खा पिसरान चांद मौहम्मद, सम हिस्सा 12/77 आसमीना ,पुत्री चांदमौहम्मद हिस्सा 2/77 उमर मौहम्मद वहीद , आजाद, असलम, पिसरान गुलीचन्द, रजीना,सम्मा, सुब्बा, रस्तून, पप्पी, पुत्रीयान गुलीचन्द, वसरी पत्नि गुलीचन्द, सम हिस्सा 6/11, कौम मेव साकिन देह , सुखदेई पत्नि रोशनलाल हिस्सा 18/385 वेदराम उर्फ भेदी पुत्र मूलीराम हिस्सा 9/385 कौम माली साकिन नोनेरा हाल आबाद देह खातेदार राहिन उमरमौहम्मद बगैरा हि0 6/11, एस0बी0आई0शाखा डीग मुर्त0 को खसरा नम्बर में से 2995/0.27, 2997/0.19, 2998/0.06, 3002/0.15, 3003/0.19, 3004/0.27, 3006/0.04, 3013/0.28, 3231/0.65 किता 9 रकबा 2.10 में से हिस्से अनुसार दिया जाता है

2— फज्जर पुत्र अतरखां कौम मेव साकिन नगला वादीपुर व शमशेर पुत्र सुबराती साकिन टायरा कौम मेव बहिस्सा बराबर खातेदार 3000/0.11, 3001 /0.07,कुल किता 2 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके कस्बा कामां नं0 2 पर खातेदार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार डिक्री जारी की जावे । वाद तकमील तामील पत्रावली दाखिल दफतर किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जगन लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
एवंउपखण्ड अधिकारी